



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.जेड.-अ.-12092023-248650
CG-MZ-E-12092023-248650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 626]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 2023/भाद्र 20, 1945

No. 626]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 2023/BHADRA 20, 1945

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज आईजोल, मिजोरम

अधिसूचना

आईजोल, 17 अगस्त, 2023

क्रमांक A.12018/1/2023-Estt/RIPANS(Vol-I)/9.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या यू.12026/09/2023-एनई, दिनांक 26.07.2023 और 07.08.2023 द्वारा अनुमोदित किया गया है, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल में नर्सिंग, फार्मसी, चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी, रेडियो इमेजिंग प्रौद्योगिकी और ऑप्टोमेट्री में आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य के पद की भर्ती की विधि में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्-

1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तन:-

- इन विनियमों को ग्रुप 'ए' संकाय पद (आचार्य, सह आचार्य और सहायक आचार्य), रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज, आईजोल, मिजोरम, 2023 के भर्ती नियम कहा जाएगा
- यह विनियम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होंगे।

2. पे-मैट्रिक्स में पदों की संख्या, वर्गीकरण और स्तर:-

पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे जुड़े पे-मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची I में निहित संबंधित पदों में निर्दिष्ट होगा। ग्रुप 'ए' के रूप में पदों का वर्गीकरण केंद्र सरकार के वेतन स्तर में समान श्रेणियों के अनुरूप होगा।

3. भर्ती मानदंड:-

- 3.1 सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। संबंधित पद के लिए आवश्यक आरआईपीएनएस के संबंध में संकाय के हित के संबंधित क्षेत्रों में शैक्षिक योग्यता के लिए निर्दिष्ट अनुशासन, पदों के विज्ञापित होने से पहले अनुसूची I में दिया जाएगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और नियामक निकायों की शैक्षिक योग्यता, यथास्थिति, केवल स्वीकार किया जाएगा। शैक्षिक योग्यता के संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- 3.2 सभी पदों के लिए आवश्यक अनुभव अनुसूची I में निर्दिष्ट अनुसार होगा। पद के लिए अपेक्षित अनुभव निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- 3.3 भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, अनुसूची I में निर्धारित अनुसार की जाएगी। जब कभी पदों को प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, तो पदों का विज्ञापन आरआईपीएनएस की वेबसाइट और समाचार पत्रों में ऐसे उपयुक्त तरीकों से किया जाएगा जो संस्थान प्राधिकरण उचित समझे। बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, निदेशक एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थियों का चयन करेगी।
- 3.4 सीधी भर्ती के मामले में, पद के लिए नौकरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चयन समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के लिए विशिष्ट अंक देकर चयन पारदर्शी होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति सभी पात्र अभ्यर्थियों के साक्षात्कार, जैसा आवश्यक हो, आयोजित करेगी।
- 3.5 पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दूर रहने के कारण होने वाली रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध पर भरा जा सकता है।

4. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा:-

- 4.1 प्रत्येक श्रेणी के पद में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अनुसूची I में निर्दिष्ट के अनुसार होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों आदि के संबंध में अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार छूट दी जाएगी।
- जब तक भर्ती नियमों में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, केंद्र/राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकारों के स्वायत्त संस्थानों में सेवारत कर्मियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट की अनुमति होगी।
- 4.2 आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

5. भर्ती की विधि:

- 5.1 उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
- 5.2 सीधी भर्ती के मामले में, चयनित अभ्यर्थी, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, प्रारंभ में अनुसूची I में निर्दिष्ट न्यूनतम अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। परिवीक्षा अवधि के अंत में, अभ्यर्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन संस्थान प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ताकि यह तय किया जा सके कि परिवीक्षा अवधि के दौरान अभ्यर्थी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है या अन्यथा। यदि उसका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर उसकी नियमित नियुक्ति की पुष्टि की जायेगी।
- 5.3 अनुसूची I में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता और अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के अधीन, अन्य केंद्र सरकार/ राज्य सरकार के अभ्यर्थियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लिया जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे निदेशक द्वारा ऋण देने वाले विभाग की सहमति से सेवा की अत्यावश्यकता में पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

6. अयोग्यता:-

कोई भी व्यक्ति

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है, या
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है या अनुबंध किया है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;

बशर्ते कि आरआईपीएनएस, यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत इस तरह के विवाह की अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के संचालन से छूट दी जा सकती है।

7. व्याख्या:-

जहां इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, मामला नियुक्ति प्राधिकारी को भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

8. छूट देने की शक्ति:-

जहां आरआईपीएनएस की विधिवत गठित चयन समिति की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से हो सकता है, अनुसूची I में उल्लिखित किसी भी वर्ग या श्रेणी के पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दें। यह नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगा।

9. बचत:-

इन नियमों में कुछ भी आरक्षण, आयु सीमा में छूट और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा। पहले भरे गए पद इन भर्ती नियमों से प्रभावित नहीं होंगे, जिन्हें अभी अधिसूचित किया जा रहा है। विभिन्न पदों से संबंधित नौकरी का विवरण आरआईपीएनएस द्वारा कार्यालय आदेश के रूप में अलग से जारी किया जाएगा।

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
आचार्य (नर्सिंग) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	आचार्य (नर्सिंग)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 13
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	अधिमानतः 50 वर्ष से कम
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	अनिवार्य: 1. आईएनसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में स्नातकोत्तर उपाधि 2. भारतीय नर्सिंग परिषद के तहत पंजीकृत, और 3. एमएससी (नर्सिंग) के साथ 10 (दस) वर्ष का अनुभव, जिसमें से 7 (सात) वर्ष का अनुभव आईएनसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। वांछित: आईएनसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में पीएच.डी की उपाधि।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	आयु - नहीं शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष।

		पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है।
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	पदोन्नति संबंधित विभाग में वेतन स्तर 12 में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा, कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं। प्रतिनियुक्ति कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले केंद्र/राज्य सरकार के तहत एक समान पद या एक स्तर निम्न पद अधिकारी।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक – अध्यक्ष 2. सचिव (एचएफडब्ल्यू) का नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न का न हो - सदस्य 3. मिजोरम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो – सदस्य* 5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
आचार्य (फार्मैसी) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	आचार्य (फार्मैसी)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 13
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	अधिमानत: 50 वर्ष से कम

7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>i) अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पीएच. डी की उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षण/अनुसंधान में 10 (दस) वर्ष का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष सह आचार्य/स्तर 12 के रूप में होना चाहिए। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में उपाधि (बी.फार्मेसी), और 4. किसी भी बाद के अधिनियमों सहित, समय-समय पर संशोधित फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत। <p>अथवा</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मा डी के साथ पीएचडी उपाधि। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षण/अनुसंधान में 10 (दस) वर्ष का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष सह आचार्य/स्तर 12 के रूप में होना चाहिए। 3. फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत, जैसा कि समय-समय पर उल्लेख किया गया है, जिसमें किसी भी बाद के अधिनियम शामिल हैं। <p>ii) वांछित:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. किसी मान्यता प्राप्त संगठन में 10 साल का शिक्षण / शिक्षण, और / या पेशेवर अनुभव। 2. प्रकाशित कार्य, जैसे शोध पत्र/पेटेंट दायर/प्राप्त/पुस्तकें, और/या तकनीकी रिपोर्ट; 3. परियोजना कार्य का मार्गदर्शन करने, स्नातकोत्तर या शोध छात्रों के शोध प्रबंध या उद्योग में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के पर्यवेक्षण का अनुभव। 4. शैक्षिक, अनुसंधान, औद्योगिक और/या व्यावसायिक गतिविधियों की योजना बनाने और आयोजन में नेतृत्व का प्रदर्शन किया; और 5. प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास, परामर्श और संबंधित गतिविधियों को शुरू करने/नेतृत्व करने की क्षमता।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	<p>आयु - नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	<p>सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष</p> <p>पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है</p>
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली	<p>पदोन्नति द्वारा, असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।</p>

	रिक्तियों का प्रतिशत।	
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>पदोन्नति संबंधित विभाग में वेतन स्तर 12 में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा, कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं।</p> <p>प्रतिनियुक्ति कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले केंद्र/राज्य सरकार के तहत एक समान पद या एक स्तर निम्न पद अधिकारी।</p>
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक - अध्यक्ष 2. सचिव (एचएफडब्ल्यू) का नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न का न हो - सदस्य 3. मिजोरम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो - सदस्य* 5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव <p>(*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
आचार्य (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	आचार्य (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 13
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	अधिमानतः 50 वर्ष से कम
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के अनुसूचित I और II या भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग-II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 (3) में

		<p>निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए।</p> <p>2. एक स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, एमडी या मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ पैथोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षण/अनुसंधान में 10 (दस) वर्षों का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष सह आचार्य/स्तर 12 के रूप में होना चाहिए।</p> <p>3. अभियार्थी को केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <p>1. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पैथोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री / एमएलटी विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री।</p> <p>3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षण/अनुसंधान में 10 (दस) वर्षों का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष सह आचार्य/स्तर 12 के रूप में होना चाहिए।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	<p>आयु - नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>पदोन्नति</p> <p>कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता रखने वाले संबंधित विभाग में वेतन स्तर 12 में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा।</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले केंद्र/राज्य सरकार के तहत एक समान पद या एक स्तर निम्न पद अधिकारी।</p>
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<p>1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक – अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव (एचएफडब्ल्यू) का नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न का न हो - सदस्य</p> <p>3. मिजोरम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो - सदस्य</p> <p>4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो – सदस्य*</p>

		5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
आचार्य (रेडियो इमेजिंग टेक्नालजी) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	आचार्य (रेडियो इमेजिंग टेक्नालजी)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 13
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	अधिमानतः 50 वर्ष से कम
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <p>1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के अनुसूचित I और II या भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए।</p> <p>2. एक स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, एमडी या मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ रेडियोलोजी/ प्रसूतिशास्त्र / औषधि / बाल चिकित्सा के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षण/अनुसंधान में 10 (दस) वर्षों का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष सह आचार्य/स्तर 12 के रूप में होना चाहिए।</p> <p>3. अभ्यर्थी को केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <p>1. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो इमेजिंग टेक्नालजी/ रेडियो डाइग्नोसिस और इमेजिंग टेक्नालजी/ मेडिकल इमेजिंग टेक्नालजी / रेडियोलोजी तथा इमेजिंग टेक्नालजी विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री।</p> <p>3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षण/अनुसंधान में 10 (दस) वर्षों का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष सह आचार्य/स्तर 12 के रूप में होना चाहिए।</p>

8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	आयु - नहीं शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	पदोन्नति कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता रखने वाले संबंधित विभाग में वेतन स्तर 12 में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा। प्रतिनियुक्ति कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले केंद्र/राज्य सरकार के तहत एक समान पद या एक स्तर निम्न पद अधिकारी।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक – अध्यक्ष 2. सचिव (एचएफडब्ल्यू) का नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न का न हो - सदस्य 3. मिजोरम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो – सदस्य* 5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में

आचार्य (ऑप्टोमेट्री) के भर्ती नियम

1.	पद का नाम	आचार्य (ऑप्टोमेट्री)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन

3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 13
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	अधिमानतः 50 वर्ष से कम
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <p>1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के अनुसूचित I और II या भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए।</p> <p>2. एक स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, एमडी या मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ ऑफथलमोलोजी/ सार्वजनिक स्वास्थ्य के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षण/अनुसंधान में 10 (दस) वर्षों का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष सह आचार्य/स्तर 12 के रूप में होना चाहिए।</p> <p>3. अभ्यर्थी को केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <p>1. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑप्टोमेट्री / ऑप्टोमेट्री तथा ऑफथलमिक टैक्नीक्स/ ऑफथलमिक टैक्नीक्स विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री।</p> <p>3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षण/अनुसंधान में 10 (दस) वर्षों का अनुभव जिसमें से 5 वर्ष सह आचार्य/स्तर 12 के रूप में होना चाहिए।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	<p>आयु - नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>पदोन्नति</p> <p>कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता रखने वाले संबंधित विभाग में वेतन स्तर 12 में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा।</p>

		प्रतिनियुक्ति कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले केंद्र/राज्य सरकार के तहत एक समान पद या एक स्तर निम्न पद अधिकारी।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक – अध्यक्ष 2. सचिव (एचएफडब्ल्यू) का नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न का न हो - सदस्य 3. मिजोरम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो – सदस्य* 5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
सह आचार्य (नर्सिंग) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	सह आचार्य (नर्सिंग)
2.	पदों की संख्या	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 12
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 50 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	अनिवार्य: 1. आईएनसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में स्नातकोत्तर उपाधि 2. भारतीय नर्सिंग परिषद के तहत पंजीकृत, और 3. एमएससी (नर्सिंग) के साथ 8 (आठ) वर्ष का अनुभव, जिसमें से 5 (पांच) वर्ष का अनुभव आईएनसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	आयु - नहीं शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है

9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	पदोन्नति संबंधित विभाग में वेतन स्तर 11 में सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा, कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं प्रतिनियुक्ति केंद्र/राज्य सरकार के अधीन वेतन स्तर-11 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला या 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव है।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक - अध्यक्ष 2. सचिव (एचएफडब्ल्यू) का नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो - सदस्य 3. मिजोरम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से नीचे का न हो - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य जो प्रोफेसर के पद से नीचे का न हो - सदस्य* 5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में

सह आचार्य (फार्मैसी) के भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सह आचार्य (फार्मैसी)
2.	पदों की संख्या	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन

3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 12
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं हैं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 50 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>i) अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में विशेषज्ञता की उपयुक्त शाखा में फार्मेसी (एम.फार्म) में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पीएचडी की उपाधि। सहायक आचार्य या समकक्ष ग्रेड के स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षण / अनुसंधान में 6 (छह) वर्ष का अनुभव। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में उपाधि (बी.फार्मेसी), और किसी भी बाद के अधिनियमों सहित, समय-समय पर संशोधित फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत <p>अथवा</p> <ol style="list-style-type: none"> फार्मा डी के साथ पीएचडी उपाधि, पीएचडी प्राप्त करने के बाद सहायक प्रोफेसर या समकक्ष ग्रेड के स्तर पर शिक्षण / अनुसंधान में 6 (छह) वर्षों के अनुभव के साथ । फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत, जैसा कि समय-समय पर उल्लेख किया गया है, जिसमें किसी भी बाद के अधिनियम शामिल हैं <p>ii) वांछित:</p> <ol style="list-style-type: none"> किसी मान्यता प्राप्त संगठन में 6 साल का शिक्षण / औद्योगिक अनुसंधान और / या पेशेवर अनुभव । प्रकाशित कार्य, जैसे शोध पत्र/पेटेंट दायर/प्राप्त/पुस्तकें, और/या तकनीकी रिपोर्ट; परियोजना कार्य का मार्गदर्शन करने, स्नातकोत्तर या शोध छात्रों के शोध प्रबंध या उद्योग में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के पर्यवेक्षण का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	<p>आयु - नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/पदोन्नति

11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>पदोन्नति संबंधित विभाग में वेतन स्तर 11 में सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा, कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं</p> <p>प्रतिनियुक्ति केंद्र/राज्य सरकार के अधीन वेतन स्तर-11 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला या 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव है।</p>
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक - अध्यक्ष 2. सचिव (एचएफडब्ल्यू) का नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न का न हो - सदस्य 3. मिजोरम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो - सदस्य* 5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव <p>(*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
सह आचार्य (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	सह आचार्य (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी)
2.	पदों की संख्या	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 12
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 50 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के अनुसूचित I और II या भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय चिकित्सा

		<p>परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए।</p> <p>2. एक स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, एमडी या मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ पैथोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 (छह) साल के शिक्षण या अनुसंधान के अनुभव के साथ विशेषज्ञता के विषय में और</p> <p>3. अभियार्थी को केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <p>1. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पैथोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री / एमएलटी विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री।</p> <p>3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेषज्ञता के विषय में 6 (छः) वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	<p>आयु - नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>पदोन्नति</p> <p>संबंधित विभाग में वेतन स्तर 11 में सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा, कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केंद्र/राज्य सरकार के अधीन वेतन स्तर-11 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला या 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव है।</p>
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<p>1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक – अध्यक्ष</p> <p>2. सचिव (एचएफडब्ल्यू) का नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न का न हो - सदस्य</p> <p>3. मिजोरम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो - सदस्य</p> <p>4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो – सदस्य*</p>

		5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
सह आचार्य (रेडियो इमेजिंग टेक्नालजी) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	सह आचार्य (रेडियो इमेजिंग टेक्नालजी)
2.	पदों की संख्या	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 12
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 50 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के अनुसूचित I और II या भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए। 2. एक स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, एमडी या मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ रेडियोलोजी/ गार्डनीकोलोजी/ औषधि / बाल चिकित्सा के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 (छह) साल के शिक्षण या अनुसंधान के अनुभव के साथ विशेषज्ञता के विषय में और 3. अभ्यर्थी को केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए। <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो इमेजिंग टेक्नालजी/ रेडियो डाइग्नोसिस और इमेजिंग टेक्नालजी/ मेडिकल इमेजिंग टेक्नालजी / रेडियोलोजी तथा इमेजिंग टेक्नालजी विषय में मास्टर डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेषज्ञता के विषय में 6 (छः) वर्ष का शिक्षण अनुभव।

8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	आयु - नहीं शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	पदोन्नति संबंधित विभाग में वेतन स्तर 11 में सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा, कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं प्रतिनियुक्ति केंद्र/राज्य सरकार के अधीन वेतन स्तर-11 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला या 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव है।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक – अध्यक्ष 2. सचिव (एचएफडब्ल्यू) का नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न का न हो - सदस्य 3. मिजोरम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो – सदस्य* 5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
सह आचार्य (ऑप्टोमेट्री) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	सह आचार्य (ऑप्टोमेट्री)
2.	पदों की संख्या	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'

4.	वेतनमान	पे-मेट्रिक्स में स्तर 12
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 50 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के अनुसूचित I और II या भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए। 2. एक स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, एमडी या मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ ऑफथलमोलोजी/ सार्वजनिक स्वास्थ्य के विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में शिक्षण/अनुसंधान में 6 (छह) वर्षों का अनुभव। 3. अभ्यर्थी को केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए। <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑप्टोमेट्री / ऑप्टोमेट्री तथा ऑफथलमिक टैक्नीक्स/ ऑफथलमिक टैक्नीक्स विषय में मास्टर डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में डॉक्टरेट की डिग्री। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेषज्ञता के विषय में 6 (छः) वर्ष का शिक्षण अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	<p>आयु - नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>पदोन्नति</p> <p>संबंधित विभाग में वेतन स्तर 11 में सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा, कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केंद्र/राज्य सरकार के अधीन वेतन स्तर-11 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला या 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने</p>

		वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव है।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक – अध्यक्ष 2. सचिव (एचएफडब्ल्यू) का नामिती जो संयुक्त सचिव के पद से निम्न का न हो - सदस्य 3. मिजोरम विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो - सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य जो प्रोफेसर के पद से निम्न का न हो – सदस्य* 5. संबंधित विषय के दो विशेषज्ञ* - सदस्य 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में

सहायक आचार्य (सीनियर स्केल) (नर्सिंग) के भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (सीनियर स्केल) (नर्सिंग) कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग; ओब्स्टेट्रिक और गाइनेकोलॉजिकल नर्सिंग; साइकाइट्रिक नर्सिंग; पेडियाट्रिक नर्सिंग; मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग।
2.	पदों की संख्या	06* (2023) कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग-2 ओब्स्टेट्रिक और गाइनेकोलॉजिकल नर्सिंग-1 साइकाइट्रिक नर्सिंग-2 मेडिकल और सर्जिकल नर्सिंग-1 *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 11
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	अनिवार्य: 1. आईएनसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में प्रासंगिक अनुशासन में स्नातकोत्तर उपाधि।

		<p>2. भारतीय नर्सिंग परिषद/ राज्य नर्सिंग परिषद के तहत पंजीकृत, और</p> <p>3. आईएनसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमएससी (नर्सिंग) के साथ 5 (पांच) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>वांछित:</p> <p>नर्सिंग में पीएच.डी</p>
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	<p>आयु - नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	<p>सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष</p> <p>पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है।</p>
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>पदोन्नति</p> <p>संबंधित विभाग में वेतन स्तर 10 में सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा, कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केंद्र/राज्य सरकार के अधीन वेतन स्तर-10 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला या 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव है।</p>
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<p>1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष</p> <p>2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</p> <p>3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य</p> <p>4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य*</p> <p>6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव</p> <p>(*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
सहायक आचार्य (सीनियर स्केल) (फार्मेसी) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (सीनियर स्केल) (फार्मेसी)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 11
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>i) अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में विशेषज्ञता की उपयुक्त शाखा में फार्मेसी (एम.फार्म) में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ पीएचडी की उपाधि। सहायक आचार्य या समकक्ष ग्रेड के स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षण / अनुसंधान में 5 (पांच) वर्ष का अनुभव। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में उपाधि (बी.फार्मेसी), और किसी भी बाद के अधिनियमों सहित, समय-समय पर संशोधित फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत <p>अथवा</p> <ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्म डी की उपाधि प्राप्त। फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत, जैसा कि समय-समय पर उल्लेख किया गया है, जिसमें किसी भी बाद के अधिनियम शामिल हैं। फार्म डी उपाधि प्राप्त करने के बाद मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षण में 5 (पांच) वर्षों के अनुभव। <p>ii) वांछित:</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रकाशित कार्य, जैसे शोध पत्र/पेटेंट दायर/प्राप्त/पुस्तकें, और/या तकनीकी रिपोर्ट; परियोजना कार्य का मार्गदर्शन करने, स्नातकोत्तर या शोध छात्रों के शोध प्रबंध या उद्योग में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के पर्यवेक्षण का अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	<p>आयु - नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है</p>

9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष। पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है।
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रोन्नति द्वारा, जिसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	पदोन्नति संबंधित विभाग में वेतन स्तर 10 में सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा, कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं प्रतिनियुक्ति केंद्र/राज्य सरकार के अधीन वेतन स्तर-10 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला या 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव है।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष 2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य* 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
सहायक आचार्य (सीनियर स्केल) (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी)
के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (सीनियर स्केल) (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी)
2.	पदों की संख्या	03* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन

3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 11
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के अनुसूचित। और II या भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए। 2. एक स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, एमडी या मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ पैथोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री के विषय में। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में 5 (पांच) वर्ष का शिक्षण अनुभव। 4. अभियार्थी को केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए। <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पैथोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री / एमएलटी विषय में मास्टर डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद 5 (पांच) वर्ष का शिक्षण अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	<p>आयु - नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	<p>सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष।</p> <p>पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है।</p>
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति द्वारा, असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों में असफल होने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>पदोन्नति</p> <p>संबंधित विभाग में वेतन स्तर 10 में सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा, कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं</p>

		प्रतिनियुक्ति केंद्र/राज्य सरकार के अधीन वेतन स्तर-10 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला या 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव है।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष 2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य* 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
सहायक आचार्य (सीनियर स्केल) (रेडियो इमेजिंग टेक्नालजी) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (सीनियर स्केल) (रेडियो इमेजिंग टेक्नालजी)
2.	पदों की संख्या	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 11
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए: 1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के अनुसूचित। और II या भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए। 2. एक स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, एमडी या मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ रेडियोलोजी/ गार्डनीकोलोजी/ औषधि / बाल चिकित्सा के विषय में।

		<p>3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में 5 (पांच) वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p> <p>4. अभ्यर्थी को केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <p>1. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो इमेजिंग टेक्नालजी/ रेडियो डाइग्नोसिस और इमेजिंग टेक्नालजी/ मेडिकल इमेजिंग टेक्नालजी / रेडियोलोजी तथा इमेजिंग टेक्नालजी विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद 5 (पांच) वर्ष का शिक्षण अनुभव।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	<p>आयु - नहीं</p> <p>शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है</p>
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ पदोन्नति विफल जो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>पदोन्नति</p> <p>संबंधित विभाग में वेतन स्तर 10 में सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा, कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केंद्र/राज्य सरकार के अधीन वेतन स्तर-10 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला या 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव है।</p>
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<p>1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष</p> <p>2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</p> <p>3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य</p> <p>4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य*</p> <p>6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव</p> <p>(*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>

13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं
-----	---	-----------

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में

सहायक आचार्य (सीनियर स्केल) (ऑप्टोमेट्री) के भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (सीनियर स्केल) (ऑप्टोमेट्री)
2.	पदों की संख्या	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 11
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	पदोन्नति के मामले में चयन
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा।	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के अनुसूचित। और II या भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए। 2. एक स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, एमडी या मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ ऑफथलमोलोजी/ सार्वजनिक स्वास्थ्य के विषय में। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में 5 (पांच) वर्ष का शिक्षण अनुभव। 4. अभ्यर्थी को केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए। <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑप्टोमेट्री / ऑप्टोमेट्री तथा ऑफथलमिक टैक्नीक्स/ ऑफथलमिक टैक्नीक्स विषय में मास्टर डिग्री। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद 5 (पांच) वर्ष का शिक्षण अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	आयु - नहीं शैक्षणिक योग्यता - हाँ अनुभव के साथ जैसा कि ऊपर कॉलम 7 में बताया गया है
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष। पदोन्नति के मामले में लागू नहीं है।
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा	

	और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ पदोन्नति विफल जो प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>पदोन्नति संबंधित विभाग में वेतन स्तर 10 में सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 (पांच) वर्ष की नियमित सेवा, कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं</p> <p>प्रतिनियुक्ति केंद्र/राज्य सरकार के अधीन वेतन स्तर-10 में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला या 5 वर्ष की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव है।</p>
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष 2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य* 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव <p>(*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में

सहायक आचार्य (नर्सिंग) के भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (नर्सिंग)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 10
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आईएनसी से मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में स्नातकोत्तर उपाधि।

		<p>2. भारतीय नर्सिंग परिषद/ राज्य नर्सिंग परिषद के तहत पंजीकृत, और</p> <p>3. आईएनसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमएससी (नर्सिंग) के साथ 3 (तीन) वर्ष का अनुभव होना चाहिए।</p> <p>वांछित: नर्सिंग में पीएच.डी</p>
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा जिसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केंद्र/राज्य सरकार के तहत वेतन स्तर -8 में पद पर नियमित आधार पर या 4 साल की नियमित सेवा या वेतन स्तर -9 में पद पर 2 साल की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव हो।</p>
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<p>1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष</p> <p>2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</p> <p>3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य</p> <p>4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य*</p> <p>6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
सहायक आचार्य (पोषण) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (पोषण)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन

3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 10
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	अनिवार्य: 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ निष्णात उपाधि। 2. अभ्यर्थी ने एनईटी/एसईटी/एसएलईटी की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या अभ्यर्थी को संबंधित क्षेत्र में पीएच.डी की उपाधि सम्मानित किया गया है।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा जिसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	प्रतिनियुक्ति केंद्र/राज्य सरकार के तहत वेतन स्तर -8 में पद पर नियमित आधार पर या 4 साल की नियमित सेवा या वेतन स्तर -9 में पद पर 2 साल की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव हो।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष 2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य* 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
सहायक आचार्य (अंग्रेजी) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (अंग्रेजी)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 10
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	अनिवार्य: 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ निष्णात उपाधि। 2. अभ्यर्थी ने एनईटी/एसईटी/एसएलईटी की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या अभ्यर्थी को संबंधित क्षेत्र में पीएच.डी की उपाधि सम्मानित किया गया है।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा जिसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	प्रतिनियुक्ति केंद्र/राज्य सरकार के तहत वेतन स्तर -8 में पद पर नियमित आधार पर या 4 साल की नियमित सेवा या वेतन स्तर -9 में पद पर 2 साल की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव हो।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष 2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने

		वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य* 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
सहायक आचार्य (फार्मैसी) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (फार्मैसी)
2.	पदों की संख्या	05* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 10
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	अनिवार्य: 1. मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेषज्ञता की उपयुक्त शाखा में फार्मैसी (एम. फार्म) में निष्णात उपाधि। 2. फार्मैसी में उपाधि (बी.फार्म), और 3. समय-समय पर संशोधित फार्मैसी अधिनियम, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत। या 1. मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्म डी। 2. समय-समय पर संशोधित फार्मैसी अधिनियम, 1948 के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में संबंधित क्षेत्र में 3 (तीन) वर्ष का शिक्षण अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा जिसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	प्रतिनियुक्ति केंद्र/राज्य सरकार के तहत वेतन स्तर -8 में पद पर नियमित आधार पर या 4 साल की नियमित सेवा या वेतन स्तर -9 में पद पर 2 साल की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव हो।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष 2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य* 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
सहायक आचार्य (चिकित्सा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (चिकित्सा प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला)
2.	पदों की संख्या	03* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 10
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	अनिवार्य: 1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के अनुसूचित I और II या भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए।

		<p>2. संबंधित विशेषता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या अनुसूची-VI या समकक्ष के खंड-ए या खंड-बी में उल्लिखित पैथोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री की सुपर-स्पेशियलिटी।</p> <p>3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में तीन साल का शिक्षण अनुभव।</p> <p>4. अभ्यर्थी को केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <p>1. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पैथोलॉजी / माइक्रोबायोलॉजी / बायोकेमिस्ट्री / एमएलटी विषय में मास्टर डिग्री।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में तीन साल का शिक्षण अनुभव।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा जिसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केंद्र/राज्य सरकार के तहत वेतन स्तर -8 में पद पर नियमित आधार पर या 4 साल की नियमित सेवा या वेतन स्तर -9 में पद पर 2 साल की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव हो।</p>
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<p>1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष</p> <p>2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</p> <p>3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य</p> <p>4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य*</p> <p>6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव</p> <p>(*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>

13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं
-----	--	-----------

**रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में
सहायक आचार्य (रेडियो इमेजिंग टेक्नालजी) के भर्ती नियम**

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (रेडियो इमेजिंग टेक्नालजी)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 10
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	<p>अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के अनुसूचित I और II या भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए। संबंधित विशेषता में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या अनुसूची-VI या समकक्ष के खंड-ए या खंड-बी में उल्लिखित रेडियोलोजी की सुपर-स्पेशियलिटी। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में तीन साल का शिक्षण अनुभव। अभ्यर्थी को केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए। <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <ol style="list-style-type: none"> स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियो इमेजिंग टेक्नालजी / मेडिकल इमेजिंग टेक्नालजी / रेडियो डाइग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नालजी में मास्टर डिग्री। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में तीन साल का शिक्षण अनुभव।
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा	सीधी भर्ती द्वारा जिसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

	और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	प्रतिनियुक्ति केंद्र/राज्य सरकार के तहत वेतन स्तर -8 में पद पर नियमित आधार पर या 4 साल की नियमित सेवा या वेतन स्तर -9 में पद पर 2 साल की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव हो।
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष 2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य 4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य* 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य* 6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव (*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)
13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं

रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइन्सेस, आइज़ोल में

सहायक आचार्य (ऑप्टोमेट्री) के भर्ती नियम

1.	पद का नाम	सहायक आचार्य (ऑप्टोमेट्री)
2.	पदों की संख्या	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा ग्रुप 'ए'
4.	वेतनमान	7वें सीपीसी के अनुसार पे-मेट्रिक्स में स्तर 10
5.	चयन पद है या गैर चयन पद।	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य योग्यताएं।	अनिवार्य: 1. भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के अनुसूचित । और II या भाग II में शामिल एक मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री योग्यता। तीसरी अनुसूची के भाग- II में शामिल योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी भारतीय

		<p>चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 13 (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना चाहिए।</p> <p>2. एक स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, एमडी या मान्यता प्राप्त योग्यता के साथ ओफथलमोलोजी/पब्लिक हैल्थ के विषय में।</p> <p>3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में तीन साल का शिक्षण अनुभव।</p> <p>4. अभ्यर्थी को केंद्रीय / राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>गैर-चिकित्सा अभ्यर्थियों के लिए:</p> <p>1. स्नातकोत्तर योग्यता जैसे, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑप्टोमेट्री / ऑप्टोमेट्री एंड ओफथलमिक टेकनिक्स/ ओफथलमिक टेकनिक्स में मास्टर डिग्री।</p> <p>2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में तीन साल का शिक्षण अनुभव।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	सीधी भर्ती के लिए 1 (एक) वर्ष।
10.	भर्ती की पद्धति, चाहे सीधी भर्ती द्वारा, या प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/ स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	सीधी भर्ती द्वारा जिसमें असफल होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.	पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती के मामले में जिस ग्रेड से पदोन्नति स्थानांतरण किया जाना है।	<p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केंद्र/राज्य सरकार के तहत वेतन स्तर -8 में पद पर नियमित आधार पर या 4 साल की नियमित सेवा या वेतन स्तर -9 में पद पर 2 साल की नियमित सेवा रखने वाला अधिकारी जिसके पास कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव हो।</p>
12.	यदि डीपीसी मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है।	<p>1. संयुक्त सचिव (एनई) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो निदेशक के पद से निम्न का नहीं है – अध्यक्ष</p> <p>2. उप सचिव (एनई) भारत सरकार के, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य</p> <p>3. उप सचिव, डी.पी & ए.आर, मिज़ोरम सरकार - सदस्य</p> <p>4. संबंधित विषय में एक विशेषज्ञ - सदस्य*</p> <p>5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सहयोजित सदस्य – सदस्य*</p> <p>6. निदेशक, रिपन्स - सदस्य सचिव</p> <p>(*निदेशक, रिपन्स द्वारा नामित किया जाना है)</p>

13.	जिन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।	लागू नहीं
-----	--	-----------

डॉ. संजय दिनकर सावंत, निदेशक
[विज्ञापन III/4/असा./407/2023-24]

REGIONAL INSTITUTE OF PARAMEDICAL AND NURSING SCIENCES AIZAWL, MIZORAM

NOTIFICATION

Aizawl, the 17th August, 2023

No.A.12018/1/2023-Estt/RIPANS(Vol-I)/9.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and as approved by the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India vide Letter .No.U.12026/09/2023-NE, dated 26.07.2023 and 07.08.2023, the President hereby makes the following amendment of the method of recruitment of the post of Professor, Associate Professor and Assistant Professor in Nursing, Pharmacy, Medical Laboratory Technology, Radio Imaging Technology and Optometry in Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, an Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, namely:-

1. Short Title and commencement: -

- 1.1. These rules may be called the Recruitment Rules of Group A Faculty Posts (Professor, Associate Professor and Assistant Professor), Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl, Mizoram, 2023.
- 1.2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The number of posts, classification and level in the Pay Matrix: -

The number of posts, its classification and the level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in respective posts as contained in Schedule I. The classification of posts as Group A will correspond to similar categories in the Pay Level of Central Government.

3. Recruitment Norms: -

- 3.1 The minimum educational qualification for all the posts shall be as specified in Schedule I. The specified discipline for educational qualification in related areas of interest of the faculty in respect of RIPANS, required for the post concerned, will be as given in Schedule I, before the posts are advertised. Educational qualifications of recognized University and regulating Statutory Bodies, as the case may be, will only be accepted. In case of any doubt regarding educational qualification, the decision of Appointing Authority will be final and binding.
- 3.2 The experience required for all the posts shall as specified in Schedule I. The crucial date for determining the experience required for the post shall be the closing date for receipt of application from candidates.
- 3.3 Recruitment shall be made by promotion/deputation/direct recruitment as the case may be, as prescribed in Schedule I. Whenever the posts are to be filled up by deputation/direct recruitment, the posts shall be advertised in the website of RIPANS and newspapers by such appropriate methods as the Institute authority deems fit. In case of receipt of large number of applications, the Director may constitute a Screening Committee, which will short-list the candidates.
- 3.4 In case of direct recruitment, the selection shall be transparent by giving specific marks for various parameters decided by the Selection Committee, keeping in view the job requirement for the post. The Selection Committee as constituted by competent authority will hold interviews of the all-eligible candidates, as may be required.
- 3.5 Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances, for duration of one year or more, can be filled on deputation/short term contract.

4. Age limit for direct recruitments: -

- 4.1 The upper age limit for direct recruitment in each category of post shall be as specified in Schedule I. The upper age limit in respect of Schedule Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and the other special categories of persons etc, shall be relaxable in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

Unless otherwise specified in the Recruitment Rules, age relaxation of 5 years will be allowed for personnel serving in Central/State Government and Autonomous Institutions of Central & State Governments.

- 4.2 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates.

5. Method of Recruitment:

- 5.1 The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be specified in column 5 to 13 of the said Schedule.

- 5.2 In case of direct recruitment, the selected candidates, from the date of assuming the duties will be on probation initially for a minimum period as specified in Schedule I. At the end of probation period, the candidate's performance will be assessed by the Institute authority to decide if the candidate's performance during the probation period has been satisfactory or otherwise. If his/her performance is found to be satisfactory, he/she will be confirmed for regular appointment on completion of probation.

- 5.3 Subject to the candidate having minimum qualification and experience as specified in Schedule I, candidates from other Central Government/State Government can be taken on deputation basis. The period of deputation shall be for a period of three years which may be extended by the Director up to five years in the exigencies of service taking the consent of the lending department.

6. Disqualification: -

No person:

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who having a spouse living, has entered in or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to any of the said posts; Provided that RIPANS may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Interpretation: -

Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter shall be referred to Appointing Authority whose decision shall be final.

8. Power to relax: -

Where the duly constituted Selection Committee of RIPANS is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these

rules with respect to any class or category of posts mentioned in Schedule I. This will be subject to acceptance of the Appointing Authority.

9. Saving: -

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided to candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard. The posts filled earlier will not be affected by these Recruitment Rules, which are being notified now. The job descriptions pertaining to various posts would be issued separately by RIPANS as an Office Order.

**Recruitment Rules of Professor (Nursing) at Regional Institute of
Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl**

1.	Name of Post.	Professor (Nursing)
2.	No. of Posts.	01*(2023) * Subject to variation dependent on workload
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 13 in the Pay Matrix
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion

6.	Age limit for direct recruits.	Preferably below 50 years.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	Essential: <ol style="list-style-type: none"> 1. Master's Degree in Nursing from INC recognized Institution. 2. Registered under Indian Nursing Council, and 3. Ten years' experience with M.Sc (Nursing), out of which seven years should be teaching experience in INC recognized Institution. Desirable: Ph. D in Nursing from INC recognized Institution
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Age - No Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit. Not applicable in case of promotion.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Promotion: 5 (five) years regular service in Pay Level 12 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7. Deputation: Officer holding analogous post or post one level below under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.
12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Director General of Health Services - Chairman 2. Nominee of Secretary (HFW) not below the rank of Jt. Secretary - Member 3. Representative of Mizoram University not below the rank of Professor - Member 4. One co-opted member representing SC/ST not below the rank of Professor* - Member 5. Two experts in the subject concerned* - Member 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

**Recruitment Rules of Professor (Pharmacy) at Regional Institute of
Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl**

1.	Name of Post.	Professor (Pharmacy)
2.	No. of Posts.	01*(2023) * Subject to variation dependent on workload
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'

4.	Scale of Pay.	Level 13 in the Pay Matrix
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of Promotion
6.	Age limit for direct recruits.	Preferably below 50 years.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	<p>Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Ph.D Degree with Master's Degree in Pharmacy from a recognized Institution. 2. Experience of 10 (ten) years in teaching/ research in a recognized institution out of which 5 years must be as Associate Professor/Level 12 3. A degree in Pharmacy (B. Pharm), from a recognized Institution and 4. Registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948, as amended from time to time, including any succeeding enactments. <p style="text-align: center;">OR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A PhD degree with Pharm D from recognized Institution. 2. Experience of 10 (ten) years in teaching/research in a recognized Institution out of which 5 years must be as Associate Professor/Level 12 3. Registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948, as amended from time to time, including any succeeding enactments. <p>Desirable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10 years teaching/teaching, and/ or professional experience in a recognized organization. 2. Published work, such as research papers/ patents filed/ obtained/ books, and/ or technical reports; 3. Experience of guiding the project work, dissertation of Post Graduate or research students or supervising R&D projects in industry. 4. Demonstrated leadership in planning and organizing academic, research, industrial and/ or professional activities; and 5. Capacity to undertake/ lead sponsored R&D, consultancy and related activities.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	<p>Age - No</p> <p>Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above</p>
9.	Period of probation if any.	<p>1 (one) year for direct recruit.</p> <p>Not applicable in case of promotion.</p>
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	<p>Promotion:</p> <p>5 (five) years regular service in Pay Level 12 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p> <p>Deputation: Officer holding analogous post or post one level below under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience as prescribed for direct recruits as mentioned at Column 7.</p>

12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Director General of Health Services - Chairman 2. Nominee of Secretary (HFW) not below the rank of Jt. Secretary - Member 3. Representative of Mizoram University not below the rank of Professor - Member 4. One co-opted member representing SC/ST not below the rank of Professor* - Member 5. Two experts in the subject concerned* - Member 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Recruitment Rules of Professor (Medical Laboratory Technology) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of Post.	Professor (Medical Laboratory Technology)
2.	No. of Posts.	01*(2023) * Subject to variation dependent on workload
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 13 in the Pay Matrix
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits.	Preferably below 50 years
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	For Medical candidate: <ol style="list-style-type: none"> 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I & II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), and 2. A Post Graduate qualifications e.g. MD or a recognized qualification equivalent there-to in the Subject of Pathology/Microbiology/Biochemistry with experience of 10(ten) years in teaching/research in a recognized institution out of which 5 years must be as Associate professor/Level 12. 3. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council. For Non-Medical Candidates: <ol style="list-style-type: none"> 1. Post Graduate Qualification i.e Master's Degree in the subject of Pathology/ Microbiology/ Biochemistry/Medical Laboratory Technology from a recognised Institution. 2. A doctoral degree in the concerned subject from a recognized University. 3. Experience of 10 (ten) years in teaching/research in a recognized Institution out of which 5 years must be as Associate Professor/Level 12.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Age - No Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above

9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit. Not applicable in case of promotion.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Promotion: 5 (five) years regular service in Pay Level 12 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7. Deputation: Officer holding analogous post or post one level below under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.
12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Director General of Health Services - Chairman 2. Nominee of Secretary (HFW) not below the rank of Jt. Secretary - Member 3. Representative of Mizoram University not below the rank of Professor - Member 4. One co-opted member representing SC/ST not below the rank of Professor* - Member 4. Two experts in the subject concerned - Member 5. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Recruitment Rules of Professor (Radio Imaging Technology) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of Post.	Professor (Radio Imaging Technology)
2.	No. of Posts.	01*(2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 13 in the Pay Matrix
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits.	Preferably below 50 years.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	For Medical Candidates: 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I & II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956),

		<p>2. A Post Graduate qualifications e.g. MD or a recognized qualification equivalent there-to in the Subject of Radiology/Gynecology/Medicine/Paediatric with experience of 10(ten) years in teaching/research in a recognized institution out of which 5 years must be as Associate Professor/Level 12.</p> <p>3. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council.</p> <p>For Non-Medical Candidates:</p> <p>1. Post Graduate Qualification e.g. Master's Degree in the subject of Radio Imaging Technology/ Radio Diagnosis and Imaging Technology/Medical Imaging Technology/ Radiology & Imaging Technology from a recognized institution.</p> <p>2. A doctoral degree in the concerned subject from a recognized University.</p> <p>3. Experience of 10 (ten) years in teaching/research in a recognized Institution out of which 5 years must be as Associate Professor/Level 12.</p>
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	<p>Age - No</p> <p>Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above</p>
9.	Period of probation if any.	<p>1 (one) year for direct recruit.</p> <p>Not applicable in case of promotion.</p>
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	<p>Promotion:</p> <p>5 (five) years regular service in Pay Level 12 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p> <p>Deputation: Officer holding analogous post or post one level below under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p>
12.	If DPC exist, what is its composition.	<p>1. Director General of Health Service - Chairman</p> <p>2. Nominee of Secretary (HFW) not below the rank of Jt. Secretary - Member</p> <p>3. Representative of Mizoram University not below the rank of Professor - Member</p> <p>4. One co-opted member representing SC/ST not below the rank of Professor* - Member</p> <p>5. Two experts in the subject concerned* - Member</p> <p>5. Director, RIPANS - Member Secretary</p> <p>(*To be nominated by Director, RIPANS)</p>
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

**Recruitment Rules of Professor (Optometry) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences,
Aizawl**

1.	Name of Post.	Professor (Optometry)
2.	No. of Posts.	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 13 in the Pay Matrix
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits.	Preferably below 50 years.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	<p>For Medical Candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I & II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956). 2. A Post Graduate qualifications e.g. MD or a recognized qualification equivalent there-to in the Subject of Ophthalmology/Public Health with experience of 10(ten) years in teaching/research in a recognized institution out of which 5 years must be as Associate Professor/Level 12. 3. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council. <p>For Non-Medical Candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Post Graduate Qualification e.g. Master's Degree in the subject of Optometry/Optomety and Ophthalmic Techniques/Ophthalmic Techniques from a recognized institution. 2. A doctoral degree in the concerned subject from a recognized University. 3. Experience of 10 (ten) years in teaching/research in a recognized Institution out of which 5 years must be as Associate Professor/Level 12.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	<p>Age - No</p> <p>Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above</p>
9.	Period of probation if any.	<p>1 (one) year for direct recruit.</p> <p>Not applicable in case of promotion.</p>
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	<p>Promotion:</p> <p>5 (five) years regular service in Pay Level 12 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p>

		Deputation: Officer holding analogous post or post one level below under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.
12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Director General of Health Services - Chairman 2. Nominee of Secretary (HFW) not below the rank of Jt. Secretary - Member 3. Representative of Mizoram University not below the rank of Professor - Member 4. One co-opted member representing SC/ST not below the rank of Professor* - Member 5. Two experts in the subject concerned* - Member 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

**Recruitment Rules of Associate Professor (Nursing) at Regional Institute of
Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl**

1.	Name of Post.	Associate Professor (Nursing)
2.	No. of Posts.	02*(2023) * Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 12 in the Pay Matrix
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits.	50 years upper age limit relaxable by up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	Essential: 1. Master's Degree in Nursing from INC recognized Institute 2. Registered under Indian Nursing Council, and 3. 8 (eight) years' experience with M.Sc (Nursing), out of which 5(five) years should be teaching experience from INC recognized Institute. Desirable: Ph.D in Nursing from INC recognized Institution.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Age - No Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit. Not applicable in case of promotion.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.

11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	<p>Promotion: 5 (five) years regular service as Assistant Professor in Pay Level 11 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p> <p>Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 5 years regular service in post in Pay Level-11 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p>
12.	If DPC exist, what is its composition.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director General of Health Services - Chairman 2. Nominee of Secretary (HFW) not below the rank of Jt. Secretary -Member 3. Representative of Mizoram University not below the rank of Professor - Member 4. One co-opted member representing SC/ST not below the rank of Professor* - Member 5. Two experts in the subject concerned* - Member 6. Director, RIPANS - Member Secretary <p>(*To be nominated by Director, RIPANS)</p>
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Recruitment Rules of Associate Professor (Pharmacy) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of Post.	Associate Professor (Pharmacy)
2.	No. of Posts.	02*(2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 12 in the Pay Matrix
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	50 years upper age limit relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	<p>i) Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Ph.D Degree with Master's Degree in Pharmacy (M.Pharm) in appropriate branch of specialization from recognized Institute. 2. Experience of 6 (six) years in teaching/ research from recognised Institution at the level of Assistant professor or equivalent grade, 3. A degree in Pharmacy (B.Pharmacy) from a recognized Institution, and 4. Registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948, as amended from time to time, including any succeeding enactments. <p>OR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ph.D Degree with Pharma D, with the experience of 6 (six) years in teaching/ research at the level of Assistant Professor or equivalent grade after obtaining PhD. 2. Registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948, as amended from time to time, including any succeeding enactments.

		ii) Desirable: <ol style="list-style-type: none"> 6 years Teaching/ industrial research and/ or professional experience in a recognized organization. Published work, such as research papers/ patents filed/ obtained/ books, and/ or technical reports; Experience of guiding the project work, dissertation of Post Graduate or research students or supervising R&D projects in industry.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Age - No Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit. Not applicable in case of promotion.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Deputation (including short term contract)/promotion.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Promotion: 5 (five) years regular service as Assistant Professor in Pay Level 11 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7. Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 5 years regular service in post in Pay Level-11 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.
12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Director General of Health Services - Chairman 2. Nominee of Secretary (HFW) not below the rank of Jt. Secretary - Member 3. Representative of Mizoram University not below the rank of Professor - Member 6. One co-opted member representing SC/ST not below the rank of Professor* - Member 7. Two experts in the subject concerned* - Member 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Recruitment Rules of Associate Professor (Medical Laboratory Technology) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of Post.	Associate Professor (Medical Laboratory Technology)
2.	No. of Posts.	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 12 in the Pay Matrix

5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits.	50 years upper age limit relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	<p>For Medical Candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I & II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), 2. A Post Graduate qualifications e.g. MD or a recognized qualification equivalent there-to in the subject of Pathology/Microbiology/Biochemistry with 6 (six) years teaching or research experience from a recognized institution in the subject of speciality, and 3. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council. <p>For Non-Medical Candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Post Graduate Qualification e.g. Master Degree in the subject of Pathology/ Microbiology/ Biochemistry/ MLT from a recognized Institution. 2. A doctoral degree in the concerned subject from a recognized University. 3. 6 (Six) years teaching experience from a recognized Institution in the subject of speciality.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	<p>Age - No</p> <p>Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above</p>
9.	Period of probation if any.	<p>1 (one) year for direct recruit.</p> <p>Not applicable in case of promotion.</p>
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	<p>Promotion: 5 (five) years regular service as Assistant Professor in Pay Level 11 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p> <p>Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 5 years regular service in post in Pay Level-11 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p>
12.	If DPC exist, what is its composition.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Director General of Health Services - Chairman 2. Nominee of Secretary (HFW) not below the rank of Jt. Secretary - Member 3. Representative of Mizoram University not below the rank of Professor - Member 4. One co-opted member representing SC/ST not below the rank of Professor* - Member

		5. Two experts in the subject concerned* - Member 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Recruitment Rules of Associate Professor (Radio Imaging Technology) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of Post.	Associate Professor (Radio Imaging Technology)
2.	No. of Posts.	02*(2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 12 in the Pay Matrix
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits.	50 years upper age limit relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	<p>For Medical Candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I & II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), 2. A Post Graduate qualification 3. e.g., MD or a recognized qualification equivalent there-to in the subject of Radiology/ Gynaecology/ Medicine/ Paediatric with 6(six) years teaching or research experience from a recognized institution in the subject of speciality, and 4. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council. <p>For Non-Medical Candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Post Graduate Qualification e.g. Master Degree in the subject of Radio Imaging Technology/ Radio Diagnosis and Imaging Technology/ Medical Imaging Technology/Radiology & Imaging Technology from a recognized institution. 2. A doctoral degree in the concerned subject from a recognized University. 3. 6 (Six) years teaching experience from a recognized Institution in the subject of specialty.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Age - No Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit. Not applicable in case of promotion.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.

	vacancies to be filled by various methods.	
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	<p>Promotion: 5 (five) years regular service as Assistant Professor in Pay Level 11 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p> <p>Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 5 years regular service in post in Pay Level-11 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p>
12.	If DPC exist, what is its composition.	<p>1. Director General of Health Services - Chairman</p> <p>2. Nominee of Secretary (HFW) not below the rank of Jt. Secretary - Member</p> <p>3. Representative of Mizoram University not below the rank of Professor - Member</p> <p>4. One co-opted member representing SC/ST not below the rank of Professor* - Member</p> <p>5. Two experts in the subject concerned* - Member</p> <p>6. Director, RIPANS - Member Secretary</p> <p>(*To be nominated by Director, RIPANS)</p>
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Recruitment Rules of Associate Professor (Optometry) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of Post.	Associate Professor (Optometry)
2.	No. of Posts.	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 12 in the Pay Matrix
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits.	50 years upper age limit relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	<p>For Medical Candidates:</p> <p>1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I & II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956).</p> <p>2. A Post Graduate qualification e.g. MD or a recognized qualification equivalent there-to in the discipline of Ophthalmology/ Public Health with 6(six) years teaching or research experience from a recognized institution in the subject of speciality after obtaining the qualifying degree of MD or qualification recognized equivalent thereto, and</p> <p>3. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council.</p> <p>For Non-Medical Candidates:</p>

		1. Post Graduate Qualification e.g. Master Degree in the subject of Optometry/Optomety and Ophthalmic Techniques/Ophthalmic Techniques from a recognized institution. 2. A doctoral degree in the concerned subject from a recognized University. 3. 6 (six) years teaching experience from a recognized Institution in the subject of speciality.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Age - No Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit. Not applicable in case of promotion.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Promotion: 5 (five) years regular service as Assistant Professor in Pay Level 11 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7. Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 5 years regular service in post in Pay Level-11 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.
12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Director General of Health Services - Chairman 2. Nominee of Secretary (HFW) not below the rank of Jt. Secretary - Member 3. Representative of Mizoram University not below the rank of Professor - Member 4. One co-opted member representing SC/ST not below the rank of Professor* - Member 5. Two experts in the subject concerned* - Member 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not applicable

Recruitment Rules of Assistant Professor (Senior Scale) (Nursing) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of post	Assistant Professor (Senior Scale) (Nursing) Community Health Nursing; Obstetric & Gynecological Nursing; Psychiatric Nursing; Medical & Surgical Nursing.
2.	No. of Posts	06* (2023) Community Health Nursing -2 Obstetric & Gynecological Nursing -1 Psychiatric Nursing -2 Medical & Surgical Nursing -1 *Subject to variation dependent on workload

3.	Classification	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay	Level 11 in the Pay Matrix as per 7 th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits	40 years upper age limit relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	Essential: 1. Master's Degree in the relevant Discipline in Nursing from INC recognized Institute. 2. Registered under Indian Nursing Council, and 3. 5 (five) years' teaching experience after obtaining M.Sc (Nursing) from INC recognized Institute. Desirable: Ph. D in Nursing
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Age - No Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit. Not applicable in case of promotion.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Promotion: 5 (five) years regular service as Assistant Professor in Pay Level 10 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7 Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 5 years regular service in post in Pay Level-10 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7
12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Jt. Secretary (NE) Min. of H & FW, GoI or his representative not below the rank of Director -Chairman 2. Dy. Secretary (NE) to GoI, MoH & FW - Member 3. Dy. Secretary, DP & AR Govt. of Mizoram - Member 4. One expert in the subject concerned -Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Recruitment Rules of Assistant Professor (Senior Scale) (Pharmacy) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of post	Assistant Professor (Senior Scale) (Pharmacy)
2.	No. of Posts	01* (2023) * Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service Group 'A'

4.	Scale of Pay	Level 11 in the Pay Matrix as per 7 th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits	40 years upper age limit relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	<p>i)Essential:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Master's Degree in Pharmacy (M. Pharm) in appropriate branch of specialization in Pharmacy from recognized Institute. 2. Experience of 5 (five) years in teaching from recognized Institution after obtaining Master's Degree in Pharmacy (M. Pharm), 3. A degree in Pharmacy (B. Pharm) from a recognized Institution, and 4. Registered as a Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948, as amended from time to time, including any succeeding enactments. <p>OR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pharm D from a recognized Institution. 2. Registered as a pharmacist under the Pharmacy Act, 1948, as amended from time to time. 3. 5(five) years' experience in teaching from recognized institution after obtaining Pharm D qualification. <p>ii)Desirable:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Published work, such as research papers/patents filed/ obtained/ books, and/ or technical reports; 2. Experience of guiding the project work, dissertation of Post Graduate or research students or supervising R&D projects in industry.
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	<p>Age - No</p> <p>Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above</p>
9.	Period of probation if any.	<p>1 (one) year for direct recruit.</p> <p>Not applicable in case of promotion.</p>
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	<p>Promotion:</p> <p>5 (five) years regular service as Assistant Professor in Pay Level 10 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7</p> <p>Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 5 years regular service in post in Pay Level-10 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7</p>
12.	If DPC exist, what is its composition.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jt. Secretary (NE) Min. of H & FW, GoI or his representative not below the rank of Director - Chairman 2. Dy. Secretary (NE) to GoI, MoH & FW - Member 3. Dy. Secretary, DP & AR Govt. of Mizoram - Member

		4. One expert in the subject concerned –Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Recruitment Rules of Assistant Professor (Senior Scale) (Medical Laboratory Technology) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of post	Assistant Professor (Senior Scale) (Medical Laboratory Technology)
2.	No. of Posts	03* (2023) * Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay	Level 11 in the Pay Matrix as per 7 th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits	40 years upper age limit relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	<p>For Medical Candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I & II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), 2. A Post Graduate qualification e.g., MD or a recognized qualification equivalent there-to in the respective subject of Pathology/ Microbiology/ Biochemistry. 3. 5 (five) years' teaching experience in the subject concerned from a recognized institute. 4. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council. <p>For Non-Medical Candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Post Graduate Qualification e.g. Master Degree in the subject of Pathology/ Microbiology/ Biochemistry/ MLT from a recognized Institution. 2. 5 (five) years' teaching experience after obtaining Master Degree in the subject concerned from a recognized Institute.
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Age - No Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit. Not applicable in case of promotion.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By promotion, failing which by deputation, failing both by direct recruitment.

11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Promotion: 5 (five) years regular service as Assistant Professor in Pay Level 10 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7 Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 5 years regular service in post in Pay Level-10 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7
12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Jt. Secretary (NE) Min. of H & FW, GoI or his representative not below the rank of Director - Chairman 2. Dy. Secretary (NE) to GoI, MoH & FW - Member 3. Dy. Secretary, DP & AR Govt. of Mizoram - Member 4. One expert in the subject concerned -Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Recruitment Rules of Assistant Professor (Senior Scale) (Radio Imaging Technology) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of post	Assistant Professor (Senior Scale) (Radio Imaging Technology)
2.	No. of Posts	02* (2023) * Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay	Level 11 in the Pay Matrix as per 7 th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits	40 years upper age limit relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	For Medical Candidates: 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I & II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), 2. A Post Graduate qualification e.g. MD or a recognized qualification equivalent there-to in the respective subject of Radiology. 3. 5 (five) years' teaching experience in the subject concerned from a recognized institute. 4. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council. For Non-Medical Candidates: 1. Post Graduate Qualification e.g. Master Degree in the subject of Radio Imaging Technology/ Radio Diagnosis and Imaging Technology/ Medical Imaging Technology/ Radiology & Imaging Technology from a recognized Institution. 2. 5 (five) years' teaching experience after obtaining Master Degree in the subject concerned from a recognized Institute.

8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Age - No Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit Not applicable in case of promotion
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Deputation (including short-term contract)/ promotion failing which by Direct Recruitment
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Promotion: 5 (five) years regular service as Assistant Professor in Pay Level 10 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7 Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 5 years regular service in post in Pay Level-10 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7
12.	If DPC exist, what is its composition.	1.Jt. Secretary (NE) Min. of H & FW, GoI or his representative not below the rank of Director -Chairman 2.Dy. Secretary (NE) to GoI, MoH & FW - Member 3.Dy. Secretary, DP & AR Govt. of Mizoram - Member 4.One expert in the subject concerned –Member* 5.One co-opted member representing SC/ST - Member* 6.Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Recruitment Rules of Assistant Professor (Senior Scale) (Optometry) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of post	Assistant Professor (Senior Scale) (Optometry)
2.	No. of Posts	02* (2023) * Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay	Level 11 in the Pay Matrix as per 7 th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Selection in case of promotion
6.	Age limit for direct recruits	40 years upper age limit relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	For Medical Candidates: 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I & II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956),

		<p>2. A Post Graduate qualification e.g. MD or a recognized qualification equivalent there-to in the discipline of Ophthalmology/ Public Health.</p> <p>3. 5 (five) years' teaching experience in the subject concerned from a recognized institute.</p> <p>4. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council.</p> <p>For Non-Medical candidates:</p> <p>1. Post Graduate Qualification e.g. Master's Degree in the subject of Optometry/Optomety and Ophthalmic Techniques/Ophthalmic Techniques from a recognized institution.</p> <p>2. 5 (five) years' teaching experience after obtaining Master Degree in the subject concerned from a recognized Institute.</p>
8.	Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	<p>Age - No</p> <p>Educational Qualification - Yes with experience as mentioned in Col 7 above</p>
9.	Period of probation if any.	<p>1 (one) year for direct recruit</p> <p>Not applicable in case of promotion</p>
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	Deputation (including short-term contract)/ promotion failing which by Direct Recruitment
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	<p>Promotion:</p> <p>5 (five) years regular service as Assistant Professor in Pay Level 10 in the concerned Department having the requisite qualifications prescribed for direct recruits mentioned at Column 7</p> <p>Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 5 years regular service in post in Pay Level-10 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7</p>
12.	If DPC exist, what is its composition.	<p>1. Jt. Secretary (NE) Min. of H & FW, GoI or his representative not below the rank of Director - Chairman</p> <p>2. Dy. Secretary (NE) to GoI, MoH & FW - Member</p> <p>3. Dy. Secretary, DP & AR Govt. of Mizoram - Member</p> <p>4. One expert in the subject concerned –Member*</p> <p>5. One co-opted member representing SC/ST - Member*</p> <p>6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)</p>
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

**Recruitment Rules of Assistant Professor (Nursing) at Regional Institute of
Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl**

1.	Name of Post	Assistant Professor (Nursing)
2.	No. of Posts	01*(2023) *Subject to variation dependent on workload

3.	Classification	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay	Level 10 in the Pay Matrix as per 7 th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits	35 years upper age relaxable by up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment	Essential: <ol style="list-style-type: none"> 1. Master's Degree in the relevant Discipline in Nursing from INC recognized Institute. 2. Registered under Indian Nursing Council/State Nursing Council, and 3. M.Sc. (Nursing) from INC recognized Institute with 3 (three) years' teaching experience. Desirable: Ph. D in Nursing
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion	Not applicable
9.	Period of probation if any	1 (one) year for direct recruit.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment failing which by deputation.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 4 years regular service in post in Pay Level-8 or 2 years regular service in post in Pay Level-9 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.
12.	If DPC exist, what is its composition.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jt. Secretary (NE) Min. of H&FW, GoI or his representative not below the rank of Director. - Chairman 2. Dy. Secretary, (NE) to GoI, MoH & FW - Member 3. Dy. Secretary, DP &AR, Govt. of Mizoram - Member 4. One expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Recruitment Rules of Assistant Professor (Nutrition) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of Post	Assistant Professor (Nutrition)
2.	No. of Posts	01*(2023) *subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service Group 'A'

4.	Scale of Pay	Level 10 in the Pay Matrix as per 7 th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	35 years upper age relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	1. Master Degree with at least 55% marks in the concerned subject from recognized University. 2. Candidate should clear NET/SET/SLET OR Candidates have been awarded a Ph.D Degree in the relevant field.
8.	Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Not applicable
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment failing which by deputation.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 4 years regular service in post in Pay Level-8 or 2 years regular service in post in Pay Level-9 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.
12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Jt. Secretary (NE) Min. of H&FW, GoI or his representative not below the rank of Director. – Chairman 2. Dy. Secretary, (NE) to GoI, MoH & FW – Member 3. Dy. Secretary, DP & AR, Govt. of Mizoram - Member 4. One expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Recruitment Rules of Assistant Professor (English) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of Post	Assistant Professor (English)
2.	No. of Posts.	01*(2023) *subject to variation dependent on workload
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 10 in the Pay Matrix as per 7 th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Not applicable

6.	Age limit for direct recruits.	35 years upper age relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	1. Master Degree with at least 55% marks in the concerned subject from recognized University. 2. Candidate should clear NET/SET/SLET OR Candidates have been awarded a Ph.D Degree in the relevant field.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Not applicable
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment failing which by deputation.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 4 years regular service in post in Pay Level-8 or 2 years regular service in post in Pay Level-9 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.
12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Jt. Secretary (NE) Min. of H& FW, GoI or his representative not below the rank of Director. – Chairman 2. Dy. Secretary, (NE) to GoI, MoH & FW – Member 3. Dy. Secretary, DP & AR, Govt. of Mizoram - Member 4. One expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Recruitment Rules of Assistant Professor (Pharmacy) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of Post	Assistant Professor (Pharmacy)
2.	No. of Posts.	05*(2023) *subject to variation dependent on workload
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 10 in the Pay Matrix as per 7 th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	35 years upper age relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct	1. Master's Degree in Pharmacy (M.Pharm) in appropriate branch of specialization from a recognized Institution. 2. A degree in Pharmacy (B.Pharm), and

	recruitment.	<p>3. Registered as a pharmacist under the Pharmacy Act, 1948, as amended from time to time.</p> <p>4. 3(three) years teaching experience in the relevant field in a recognized institution</p> <p style="text-align: center;">OR</p> <p>1. Pharm D from a recognized Institution.</p> <p>2. Registration as a pharmacist under the Pharmacy Act, 1948, as amended from time to time.</p> <p>3. 3(three) years teaching experience in the relevant field in a recognized institution</p>
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Not applicable
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment failing which by deputation.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 4 years regular service in post in Pay Level-8 or 2 years regular service in post in Pay Level-9 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.
12.	If DPC exist, what is its composition.	<p>1. Jt. Secretary (NE) Min. of H& FW, GoI or his representative not below the rank of Director. Chairman</p> <p>2. Dy. Secretary, (NE) to GoI, MoH & FW – Member</p> <p>3. Dy. Secretary, DP & AR, Govt. of Mizoram - Member</p> <p>4. One expert in the subject concerned - Member*</p> <p>5. One co-opted member representing SC/ST - Member*</p> <p>6. Director, RIPANS - Member Secretary</p> <p>(*To be nominated by Director, RIPANS)</p>
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Recruitment Rules of Assistant Professor (Medical Laboratory Technology) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of Post	Assistant Professor (Medical Laboratory Technology)
2.	No. of Posts	03*(2023) *subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay	Level 10 in the Pay Matrix as per 7 th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Not applicable

6.	Age limit for direct recruits	35 years upper age relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	<p>For Medical Candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I & II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), 2. Post-graduate degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality of Pathology/Microbiology/Biochemistry mentioned in Section-A or Section-B of Schedule-VI or equivalent. 3. Three years' teaching experience in the subject concerned from a recognized institute. 4. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council. <p>For Non-Medical Candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Post Graduate Qualification e.g., Master Degree in the subject of Pathology/ Microbiology/ Biochemistry/MLT (Pathology/ Microbiology/ Biochemistry) from a recognized institution. 2. Three years' teaching experience in the subject concerned from a recognized institute.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Not applicable
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment failing which by deputation.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 4 years regular service in post in Pay Level-8 or 2 years regular service in post in Pay Level-9 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.
12.	If DPC exist, what is its composition.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jt. Secretary (NE) Min. of H& FW, GoI or his representative not below the rank of Director. – Chairman 2. Dy. Secretary, (NE) to GoI, MoH & FW – Member 3. Dy. Secretary, DP & AR, Govt. of Mizoram - Member 4. One expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Director, RIPANS - Member Secretary <p>(*To be nominated by Director, RIPANS)</p>
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Recruitment Rules of Assistant Professor (Radio Imaging Technology) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of Post.	Assistant Professor (Radio Imaging Technology)
2.	No. of Posts.	01*(2023) *Subject to variation dependent on workload
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 10 in the Pay Matrix as per 7 th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	35 years upper age relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	<p>For Medical Candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I & II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), 2. Post-graduate degree or diploma in the concerned Speciality or Super-speciality of Radiology mentioned in Section-A or Section-B of Schedule-VI or equivalent. 3. Three years' teaching experience in the subject concerned from a recognized institute. 4. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council. <p>For Non-Medical Candidates:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Post Graduate Qualification e.g., Master Degree in the subject of Radio Imaging Technology/ Radio Diagnosis and Imaging Technology/ Medical Imaging Technology/ Radiology & Imaging Technology from a recognized institution. 2. Three years' teaching experience in the subject concerned from a recognized institute.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Not applicable
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment failing which by deputation.
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	<p>Deputation:</p> <p>Officer holding analogous post on regular basis or 4 years regular service in post in Pay Level-8 or 2 years regular service in post in Pay Level-9 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.</p>
12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Jt. Secretary (NE) Min. of H& FW, GoI or his representative not below the rank of Director. - Chairman

		2. Dy. Secretary, (NE) to GoI, MoH & FW – Member 3. Dy. Secretary, DP & AR, Govt. of Mizoram - Member 4. One expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Recruitment Rules of Assistant Professor (Optometry) at Regional Institute of Paramedical and Nursing Sciences, Aizawl

1.	Name of Post.	Assistant Professor (Optometry)
2.	No. of Posts.	01*(2023) *Subject to variation dependent on workload
3.	Classification.	General Central Service Group 'A'
4.	Scale of Pay.	Level 10 in the Pay Matrix as per 7 th CPC
5.	Whether Selection post or non-selection post.	Not applicable
6.	Age limit for direct recruits.	35 years upper age relaxable by upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.
7.	Educational qualification and other qualifications required for direct recruitment.	For Medical Candidates: <ol style="list-style-type: none"> 1. A recognized MBBS degree qualification included in Scheduled I & II or part II of the third schedule of the Indian Medical Council Act 1956. Persons possessing qualifications included in Part-II of the third schedule should also fulfill the conditions specified in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), 2. Post Graduate qualifications e.g., MD or a recognized qualification equivalent there-to in the respective subject of Ophthalmology/Public Health 3. Three years' teaching experience in the subject concerned from a recognized institute. 4. The candidate must be registered with the Central/ State Medical Council. For Non-Medical Candidates: <ol style="list-style-type: none"> 1. Post Graduate Qualification e.g., Master's Degree in the subject of Optometry/Optomety and Ophthalmic Techniques/Ophthalmic Techniques from a recognized Institution. 2. Three years' teaching experience in the subject concerned from a recognized institute.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotion.	Not applicable
9.	Period of probation if any.	1 (one) year for direct recruit.
10.	Method of Recruitment, whether by direct recruit, or by promotion/ transfer	By direct recruitment failing which by deputation.

	on deputation and percentage of vacancies to be filled by various methods.	
11.	In case of Recruitment by promotion/ transfer/ deputation grade from which promotion transfer to be made.	Deputation: Officer holding analogous post on regular basis or 4 years regular service in post in Pay Level-8 or 2 years regular service in post in Pay Level-9 under the Central/ State Government having the requisite qualification and experience prescribed for direct recruits mentioned at Column 7.
12.	If DPC exist, what is its composition.	1. Jt. Secretary (NE) Min. of H& FW, GoI or his representative not below the rank of Director. – Chairman 2. Dy. Secretary, (NE) to GoI, MoH & FW – Member 3. Dy. Secretary, DP &AR, Govt. of Mizoram - Member 4. One expert in the subject concerned - Member* 5. One co-opted member representing SC/ST - Member* 6. Director, RIPANS - Member Secretary (*To be nominated by Director, RIPANS)
13.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.	Not Applicable

Dr. SANJAY DINKAR SAWANT, Director

[ADVT.-III/4/Exty./407/2023-24]